न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/टीए/3998/2005/धौलपुर

ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1– बैजनाथ प्रसाद(मृतक) पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्ण के कायममुकामः–

1/1	मामा बेवा बैजनाथ	
1/2	अशोक	पुत्र/पुत्री बैजनाथ
1/3	गिरीश	
1/4	रामकुमार	
1/5	उमेश	
1/6	सतीश	
1/7	सरोज	
1/8	इन्द्रा	
1/9	आशा	

2– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बसेडी, जिला धौलपुर।

3– रमेश चन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

अप्रार्थीगण

एकल–पीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अजयपाल डिढांरिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री तेजेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक ।

श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थी ।

निर्णय

दिनांक 8–8–2024

यह रेफरेंस धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 23–5–2005 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरेली तहसील बसेडी के साबिक आराजी खसरा नंबर 2142 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1142 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 1138 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1194 रकबा 14 बिस्वा, 1940 रकबा 8 बिस्वा, 1941 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा, 1051 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1032 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा को मु0 लच्छो बनाम गोरे वाद संख्या 42/69, 14/69 में राजीनामे के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–1–69 पारित की । उक्त तथाकथित

निर्णय व डिक्री के पश्चात् दिनांक 14–2–84 को पुनः एक डिक्री पारित की गई एवं उक्त डिक्री का अमलदरामद किए जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 18–8–92 को तहसीलदार बसेडी को आदेश जारी किए जिसके अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 बैजनाथ के नाम दर्ज गई, जो नियम विरूद्ध थी। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में भूमि ट्रासंफर नहीं होती है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत वाद में ही हो सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–1–69 , 14–2–84 एवं दिनांक 18–8–92 को जारी आदेश नियम विरूद्ध होने से प्रकरण जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है ।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रकरण में दिनांक 15–1–69 को राजीनामे के आधार पर सहायक कलेक्टर, धौलपुर द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई लेकिन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–1–69 में राजीनामा जूज डिक्री शब्द जोड़ दिया लेकिन यह डिक्री एक्जीट्यूबेल नहीं थी क्योंकि न तो अप्रार्थी संख्या 1 बैजनाथ का कोई काउन्टर क्लेम था न ही क्रोस वाद था इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को इस निर्णय व डिक्री से कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता था । लेकिन इसी प्रकरण दिनांक 14–2–84 को पुनः एक डिक्री का निर्माण कर लिया, जो कानून के विपरीत है । राज्य सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी बचाने के उद्देश्य से यह डिक्री पारित की गई जो प्रारंभ से ही शून्य और अवैध थी एवं उपरोक्त डिक्री दिनांक 15–1–69 व 14–2–84 व निर्णय दिनांक 18–8–92 रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त योग्य था । इसलिए जिला कलेक्टर द्वारा रेफरेन्स प्रेषित किया है, जो विधिसम्मत है । अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावे ।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि जिला कलेक्टर द्वारा अवैध डिक्री को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा मिला भगत कर राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली स्टॉम्प डयूटी से वंचित करने के उददेश्य से ऐसी अवैध डिक्री का निर्माण कराया है, जो रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त योग्य है। रेफरेन्स के माध्यम से ऐसी अवैध डिक्री को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसमें मियाद निर्धारित नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6– हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सर्वप्रथम लच्छो पत्नि देवीप्रसाद , तोफा, व रामलाल द्वारा गोरे व बैजनाथ के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 183 का वाद प्रस्तुत कर साबिक आराजी खसरा नंबर 2142 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1142 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 1138 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1194 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 1940 रकबा 8 बिस्वा, 1941 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा, 1051 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1032 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बोरेली तहसील बसेडी में स्थित आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे ।

उक्त दावे का जबावदावा गौरे पुत्र चुन्नी व बैजनाथ ने प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी आराजी के ट्रेसपासर नही है। इसलिए बेदखली का प्रश्न नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से नामान्तरकरण दाखिल खारिज किया है जिसका कभी कोई उज्र वादी द्वारा नहीं लिया गया न ही कोन्टेस्ट ही लिया है ऐसी सूरत में वादीगण स्टोप्ड से पाबंद है । दावा मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज है। इसी आधार पर खारिज योग्य है । अतः दावा मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे ।

तत्पश्चात प्रकरण में वादी लच्छो ने दिनांक 8–1–69 को राजीनामा प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी नंबर 2 बैजनाथ द्वारा भी एक राजीनामा दिनांक 15–1–69 प्रस्तुत किया ।

दिनांक 15–1–69 को सहायक कलेक्टर, धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 14/69 में निर्णय पारित किया गया है वह निम्नानुसार है–

'' रामलाल वादी नंबर 2 उपस्थित । मु0 लच्छो वादी नंबर उपस्थित नहीं है। आवाज भी कई बाद दिलाई जा चुकी है । वादीगण के कोई वकील भी हाजिर नहीं है। वादी नंबर 2 की ओर से दिनांक 8–1–69 को राजीनामा पेश होकर तस्दीक होकर शामिल मिसल है । वादी नंबर 2 की तरफ से भी उसी प्रकार का आज राजीनामा पेश होकर तस्दीक हो चुका है । अतः वरूये राजीनामा दावा खारिज किया जाता है । राजीनामा जुज डिक्री शुमार हो और डिक्री में लिखा जावे ।(प्रतिवादी बैजनाथ व वकील प्रतिवादी हाजिर है हुक्म सुनाया गया। मिसल तकमील दाखिल दफ्तर हो । ''

उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि बेदखली के वाद में राजीनामें के आधार पर खारिज होकर डिक्री हुआ है। चूंकि वाद बेदखली का था इसलिए तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो कि प्रकरण में

दृष्टिगोचर नहीं होता है । इसलिए बेदखली का वाद मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज का होने से सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य और अवैध थी ।

7— यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जब दावा ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया व इसी धारा के तहत अनुतोष चाहा गया था तो प्रत्यर्थी को किस आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिए गए, जो कि अधिनियम की धारा 88 के तहत ही प्रदत्त किए जा सकते हैं । पत्रावली पर मृतक तौफा द्वारा गोरे के नाम वसीयत की गई थी, जिसकी कोई जांच व परीक्षण नहीं किया गया न ही उसे कहीं चुनौती दी गई । इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह भी है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित पूर्व डिक्री दिनांक 15—1—69 के विरूद्ध 12 वर्ष पश्चात् एक प्रार्थना—पत्र दिनांक 19—10—83 को प्रस्तुत किया कि उक्त डिक्री निर्णय अनुसार नहीं है । उक्त प्रार्थना—पत्र के आधार पर उपजिलाधीश, धौलपुर द्वारा दिनांक 14—2—84 को पुनः डिक्री पारित कर दी । दिनांक 14—2—84 को जारी डिक्री में निम्न उल्लेख किया है

''मुताबिक राजीनामा खसरा नंबरान मुतनाजा साबिक आराजी खसरा नंबर 2142 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1142 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 1138 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1194 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 1940 रकबा 8 बिस्वा, 1941 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा, 1051 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1032 रकबा 11 बिस्वा मौजा बोरेल तहसील बसेडी पर मुताबिक आराजी मुतनाजा पर कब्जा प्रतिवादी बैजनाथ प्रसाद का है और वही उस पर आयन्दा काबिज रहेगा और वह ही उसका खातेदार काश्तकार होगा । वादीगण व गौरे प्रतिवादी को कोई हक आराजी लेने का नहीं होगा । पेश राजीनामा दावा वादीगण खारिज किया जाता है । राजीनामा जुज डिक्री शुमार हो । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें ।''

8— इस प्रकार प्रकरण में दिनांक 15—1—69 को राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित होने के बाद उसी प्रकरण में 12 वर्ष एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में पुनः डिक्री दिनांक 14—2—84 पारित की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित डिक्री को 12 वर्ष बाद एक प्रार्थना—पत्र के माध्यम से पुनः डिक्री आदेश जारी कर दिए जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है । यदि कोई पक्षकार किसी डिक्री से व्यथित है तो उसे अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था

लेकिन प्रार्थना–पत्र किसी डिक्री को परिवर्तर्तित करने आधार बनाया गया जो विधि विरूद्ध है ।

इस संबंध मे में आरआरटी 2021(1) माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने **राजस्थान राज्य बनाम राजहंस** के प्रकरण में यह मत व्यक्त किया है कि परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सम्यक् रूप से परीक्षण नहीं कर केवल मौखिक कथनो के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। पक्षकारान ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाले मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क से बचने के लिए एक सुनियोजित एवं सोची समझी साजिश के तहत गलत आधारों पर दावा डिक्री करवा लिया, जिससे राज्य सरकार को होने वाली आय से वंचित रखा गया। अतः रेफरेंस स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथा नामांतरण निरस्त किये गये तथा पूर्व की स्थिति में रिकार्ड कायम किये जाने के आदेश दिये गये।

आर.बी.जे. 2006 पृष्ठ 370 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सुमेर सिंह में यही मत अभिनिर्धारित किया है कि–

"When judgment and decree was passed without proper documentary evidence same can be set aside in reference proceedings ."

11– प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ऐसी अवैध डिक्री दिनांक 15–1–69 व 14–2–84 व निर्णय दिनांक 18–8–92 को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया जो विधिसम्मत है। रेफरेन्स के माध्यम से ऐसी अवैध डिक्री व निर्णय को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। इस संबंध में आर.बी.जे. 1998 पृष्ठ 384 उनवानी मंदिर श्री ठाकुरजी कांसर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मत अभिनिर्धारित किया है कि–

"No limitation for making a reference."

9– उक्त प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के मध्यनजर सहायक कलेक्टर, धौलपुर द्वारा दिनांक 15–1–69 को जारी डिक्री एवं उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 14–2–84 एवं आदेश दिनांक 18–8–92 विधि विरूद्ध एवंशून्य होने से निरस्त योग्य है क्योंकि एक डिक्री राजीनामें के आधार पर वाद खारिज कर डिक्री किया है तथा दूसरी 12 वर्ष पश्चात पुनः उसी प्रकरण में दिनांक 14–2–84 को डिक्री जारी की गई । एक ही प्रकरण में दो बार डिक्री पारित की गई है जिसका कोई विधिक आधार नहीं था। वाद में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किए बगैर डिक्री पारित की है एवं राज्य सरकार को स्टॉम्प

ड्यूटी भुगतान किए जाने से बचने के लिए पक्षकारों द्वारा आपासी राजीनामें व प्रार्थना–पत्र के माध्यम से डिक्री व डिक्री में संशोधन कराये गये हैं । चूंकि वाद बेदखली का था, इसलिए सरकार आवश्यक पक्षकार थी। अतः ऐसी अवैध डिक्री व निर्णय को रेफरेन्स के माध्यम से कभी भी निरस्त किया जा सकता है ।

10– उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है । सहायक कलेक्टर, धौलपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 15–1–69, उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 14–2–84, उपखण्ड अधिकारी, बाडी का आदेश दिनांक 18–8–92 निरस्त किए जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य